न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति सुनिता यादव आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
52 / 2022 / प्रार्थना पत्र	20.01.2022	12.12.2022

उनवान

1– मु. मंजू देवी पुत्री भुरालाल दमामी निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
2– मु. मानकंवर पुत्री भुरालाल दमामी निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
3– मु. मधु पुत्री भुरालाल दमामी निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
4– मु. माया पुत्री भुरालाल दमामी निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
5– मु. अंजु पुत्री भुरालाल दमामी निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– खुशबु पुत्री ओम प्रकाश दमामी निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
2– भंवरी देवी पत्नी ओम प्रकाश दमामी निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
3– सुशील पुत्र ओम प्रकाश दमामी निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
4– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक लि0 बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 212 आर. टी. ए.

उपस्थित :– 1. श्री अक्षयराज रेबरी :– अभिभाषक – प्रार्थीगण
2. श्री विजय पाराशर :– अभिभाषक विपक्षीगण 1, 2, 3

निर्णय

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता भुरलाल दमामी के खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 1406 / 1, 1410 / 1 मि. रकबा 23 बीघा 1 बिस्वा, व आराजी नम्बर 764 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा और आराजी नम्बर 763 रकबा 4 बिस्वा व आराजी नम्बर 2666 मि. रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा स्थित थी जो कि प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो कि प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो कि प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज रेकार्ड थी। इस प्रकार उपरोक्त आराजियात प्रार्थीगण के पिताजी की होकर पुश्तैनी भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का अपने जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण के परिवार का सजरा निम्न है।

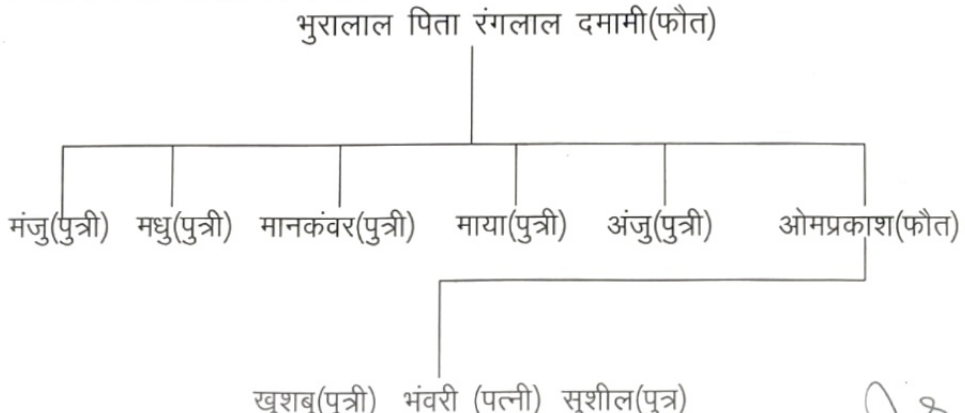

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

पेरा सं0 02 में वर्णित कृषि आराजियात जो कि प्रार्थीगण की पुश्तैनी व हक हिस्से की आराजी होकर प्रार्थीगण का अपने जन्म से ही हक निहित है। प्रार्थीगण के पिता भुरालाल की मृत्यु के बाद पैरा सं0 02 में वर्णित पुश्तैनी कृषि आरजी का खाता विरासत से प्रार्थीगण के नाम खोला जाना चाहिये था लेकिन विपक्षीगण नं. 01 से 3 के पिता व पति ओमप्रकाश ने राजस्व कर्मियों से मिला भगती करते हुए अपने आपको भुरालाल का एकल स्वामी वारिस बताते हुए सम्पूर्ण आराजियात का खाता स्वयं के नाम खुलवा लिया जबकि उपरोक्त आराजी में ओम प्रकाश के साथ प्रार्थीगण का नाम भी विरासत से खोले गये खाते में नाम दर्ज होना चाहिए था जबकि पैरा सं0 2 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का 1/6–1/6 हक हिस्सा निहित है। शाहपुरा तहसील के सेटलमेंट का कार्य चला उस दौरान पैरा सं0 02 में वर्णित आराजी के नये आराजी नम्बर बने जो इस प्रकार है आराजी नम्बर 1944 रकबा 0.50 है0, 1945 रकबा 0.54 है0, 1946 रकबा 3.14 है0, 1947 रकबा 1.62 है0, 2736 रकबा 0.03 है0, 2737 रकबा 2.16 है0, 2738 रकबा 0.20 है0, 932 रकबा 0.50 है0, 933 रकबा 0.09 है0, 934 रकबा 0.05 है0 किता 10 रकबा 8.83 है0। पैरा सं0 04 में दर्ज वर्णित आराजियात जो कि वर्तमान में ओम प्रकाश की मृत्यु के बाद ओमप्रकाश के वारिसान विपक्षीगण सं0 1 से 3 के नाम दर्ज रेकार्ड है। उपरोक्त आरजियात में प्रार्थीगण का 1/6–1/6 हक हिस्से अनुसार होने से प्रार्थीगण को उक्त अनुसार खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। इस हेतु वाद पत्र पेश किया गया है। मौके पर प्रार्थीगण अपने हेक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रही है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण आये दिन जमीन को बेचने व बेदखल करने की धमकियां देते है। जबकि उक्त आराजी प्रार्थीगणों की पुश्तेनी है इसलिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्रार्थीगण ग्राम पंचायत बच्छखेड़ा में गई और अपनी आरजी की जमाबंदी की नकल हल्का पटवारी से प्राप्त करने गई तब जानकारी हुई कि पैरा सं0 03 में वर्णित आराजी जे कि पुश्तैनी होकर प्रार्थीगण का उसमें 1/6–1/6 हक हिस्सा निहित होना चाहिए था लेकिन राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगणों का नाम दर्ज नहीं होकर अकेले विपक्षीगण सं0 01 से 03 के नाम थी। विपक्षीगण नम्बर 01 लगायत 03 पैरा सं0 03 में वर्णित आराजियात जो पुश्तैनी है और प्रार्थीगण का उक्त आराजी में हक हिस्सा निहित है और मौके पर काबिज है जिनको यदि विपक्षीगण द्वारा जबरन बेदखल कर दिया या कब्जे काश्त में बाधा कारित की या आरजी को खुर्द बुर्द कर सकते है इसलिए ता फैसला वाद विपक्षीगण सं0 01 लगायत 03 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 03 में वर्णित आराजियात प्रार्थीगण के पिता की होकर पुश्तैनी है और उक्त आराजी में प्रार्थीगण का 1/6–1/6 हक हिस्सा निहित है और कब्जे काश्त में होने से प्रार्थीगण की प्राईमा पेशी केस है प्रथम दृष्टया प्रकरण है एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है और यदि आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया या भूमि का बिकाव कर दिया तो अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीगण को होगी जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा ता फैसला वाद प्रार्थीगण के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि पैरा सं0 03 में वर्णित आराजी में 1/6–1/6 हिस्से पर प्रार्थीगण काबिज है के उपयोग उपभोग में बाधा नहीं करे बेदखल नहीं करे एंव आराजी को खुर्द बुर्द नहीं करें न करावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 04.07.2022 को विपक्षीगण 01 लगायत 03 की ओर से अभिभाषक श्री विजय पाराशर द्वार अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 07.12.2022 को अभिभाषक विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल अभिभाषक प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाई गयी। दिनांक 12.12.2022 को विपक्षीगण सं0 4, 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी एवं बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि वाद पत्र के पैरा सं0 02 में

खण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

वर्णित भूमि प्रार्थीगण के पिता भुरालाल दमामी के नाम दर्ज थी अतः भूमि पुश्तैनी होने के कारण प्रार्थीगण का जन्म से ही हक हिस्सा निहित था। किन्तु भुरालाल दमामी जो प्रार्थीगण के पिता है की मृत्यु के पश्चात विरासत से जो खाता खोला गया उसमें पुत्रियों का नाम दर्ज नहीं कर केवल पुत्र ओम प्रकाश दमामी जो विपक्षीगण सं0 01 लगायत 03 के पिता/पति है के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि हिन्दू उत्ताधिकार एक्ट के तहत पुश्तेनी भूमि में सभी उत्तराधिकरियों चाहे पुत्र हो या पुत्रियां सभी का नाम दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कर केवल पुत्र का नाम दर्ज किया गया जिसके पश्चात ओम प्रकाश की मृत्यु के बाद विरासत का नमान्तरकरण उनके वारियान विपक्षीगण सं0 01 लगायत 3 के नाम दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट के पश्चात वाद पत्र के पेरा सं0 2 में वर्णित आराजियात के नवीन आराजी नम्बर वाद पत्र के पेरा सं0 4 में वर्णित अनुसार बने। जो वर्तमान में विपक्षीगण सं0 01 लगायत 03 के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पुश्तेनी होने से आराजियात में प्रार्थीगण का भी हिस्सा होने से विपक्षीगण द्वारा अगर उक्त भूमि को बेचान कर दिया गया प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की भूमि से वंचित हो जायेगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा। वर्तमान में मौके पर प्रार्थीगण अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रही है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण आये दिन जमीन को बेचने व बेदखल करने की धमकियां देते है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर विपक्षीगण सं0 01 लगायत 03 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि ग्राम बच्छखेड़ा की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं0 49 में दर्ज आराजियात जिसमें प्रार्थीगण का 1/6–1/6 हिस्सा है जिस पर प्रार्थीगण काबिज है, से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं किया गया जावे , उसके उपयोग उपभोग में बाधा न करें, न ही उक्त भूमि का बेचान, खुर्द बुर्द करे और न करावें। अभिभाषक विपक्षीगण ने अपनी बहस में बताया कि भुरालाल दमामी की मृत्यु लगभग 30 वर्ष पूर्व हुई थी और विरासत का नमान्तरकरण 30 वर्ष पूर्व खोला गया प्रार्थीगण के तत्समय ही नामान्तकरण के विरूद्ध अपील की जानी चाहिए थी। इसके पश्चात ओमप्रकाश की मृत्यु के पश्चात पुनः विरासका नामान्तरकरण खुला तब भी इसके विरूद्ध अपील की जानी चाहिए थी किन्तु प्रार्थीगण द्वारा नामान्तरकरण की अपील नहीं की गयी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में मृत्यु के पश्चात नामान्तकरण खोलने हेतु लिखा गया पुत्र पुत्रियां के नाम खोला जाना है नहीं लिखा गया है तत्समय काननू नहीं था कि मृतक की महिला वारिसों के नाम जरिए नामान्तरकरण खोला जावे। पिता की मृत्यु के पश्चात केवल पुत्र के नाम नामान्तरकरण खोले जाने की प्रथा होने से नामान्तरण केवल पुत्र के नाम ही खोला गया। ओमप्रकाश जो कि भूरालाल के पुत्र होने से कानून सम्मत नामान्तरकरण ओम प्रकाश के खोला गया जिसकी जानकारी प्रार्थीगणों को उस समय थी किन्तु तत्समय नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रार्थीगणों द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके बाद विपक्षीगण के पति, पिता की मृत्यु हुई जिसकी जानकारी भी प्रार्थीगणों को थी किन्तु तत्ससमय भी उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। पिता की सम्पत्ति में पुत्रियां का अधिकार बनता है अथवा नहीं ये मूल वाद में साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने के बाद तय होगा। विवदित भूमि का दो बार विरासत से नामान्तरकरण खुल चुका है किन्तु प्रार्थीगण द्वारा उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गयी। अभिभाषक वादी ने उक्त कथन का खण्डन करते हुए कहा कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पुश्तैनी जायदाद में पुत्रियों को भी हिस्सा दिया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा भी अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पिता की सम्पत्ति में पुत्रियां का बराबर अधिकार है। अतः अपने हक हिस्से के लिए पुत्रियां कभी दावा कर सकती है जरूरी नहीं की वे नामान्तरकरण की अपील करें।

बहस पर मनन एवं प्रकरण एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु 3 विधिक बिन्दुओं को देखा जाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण :– सबिक जमाबन्दी ग्राम बच्छखेड़ा पटवार हल्का बच्छखेड़ा में लगाये गये दाखला ईन्तकाल नं0 80 दिनांक 08.06.1992 अनुसार विरासत से भूरालाल के बजाय ओमप्रकाश पित भूरालाल दमामी सादेह के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। जबकि भूरालाल के पुत्रियां भी थी, जो प्रार्थीगण है। विपक्षीगण द्वारा भी प्रार्थीगण भूरालाल की पुत्रियां होना अपने जवाब में स्वीकार किया गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पिता के वारिस के रूप में पुत्र, पुत्रियां, विधवा, माता, पूर्व मृतक पुत्री का पुत्र, पूर्व मृतक पुत्री की पुत्री आदि का स्पष्ट अंकन है। अतः विरासत से जो नामान्तरकरण खोला गया है उसमें पुत्रियों का नाम भी दर्ज होना चाहिए था किन्तु नहीं किया गया। अतः भूरालाल का सम्पत्ति में उसकी पुत्रियों का हक हिस्सा निहित है। जिस हेतु प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु भी वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

2. अपूर्तनीय क्षति का सिद्धान्त :– प्रार्थीगण मृतक भूरालाल की पुत्रियां है। भूरालाल की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण खोलते समय भूरालाल की पुत्रियों का नाम दर्ज नहीं किया गया जबकि पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों का बराबर का हक हिस्सा निहित होने से भूरालाल की सम्पत्ति में प्रार्थीगण का बाराबर का हक हिस्सा निहित है। अतः प्रार्थीगण को विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जाता है या सम्पत्ति का बेचान, खुर्द बुर्द किया जाता है तो प्रार्थीगण अपने हक से वंचित हो जायेगीं एवं अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीगण होगी अतः अपूर्तनीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष मे बनता है।

3. सुविधा सन्तुलन :– उपरोक्त दोनों विधिक बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होने से सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

अतः उपरोक्त विधिक बिन्दुओं के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं।

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 विरूद्ध विपक्षीगण ताफैसला वाद स्वीकार किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि वाके ग्राम बच्छखेड़ा पटवार हल्का बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा में स्थित आराजी नम्बर 1944 रकबा 0.50 है0, 1945 रकबा 0.54 है0, 1946 रकबा 3.14 है0, 1947 रकबा 1.62 है0, 2736 रकबा 0.03 है0, 2737 रकबा 2.16 है0, 2738 रकबा 0.20 है0, 932 रकबा 0.50 है0, 933 रकबा 0.09 है0, 934 रकबा 0.05 है0 किता 10 रकबा 8.83 है0 में प्रार्थीगण के हक हिस्से के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा न स्वयं पैदा करे न अपने नौकरों, ऐजेण्टों आदि से पैदा करावें एवं आराजी को खुर्द बुर्द न करे न करावें।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनिता यादव)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)